"अति महत्वपूर्ण / समयबद्ध / अभियान"

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
अनुभाग-12, लखनऊ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या :: पी-390/12-3एफ/2001, दिनांक : 14 : जून, 2004.

विषय :- विशेष अभियान चलाकर लम्बित राजस्व वादों का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन/परिषद द्वारा राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा में यह पाया गया कि पीठासीन अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से न्यायालय में बैठकर न्यायिक कार्य सम्पादित न किये जाने से लम्बित राजस्व वादों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि वादों की वृद्धि का जहाँ प्रत्यक्ष प्रभाव शान्ति व्यवस्था एवं विकास कार्यों पर पड़ता है, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार में भी वृद्धि की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह सच है कि शान्ति व्यवस्था, प्रोटोकाल व अन्य प्रशासनिक कार्यों को न्यायिक कार्य पर प्राथमिकता देनी पड़ती है, किन्तु न्यायालय में लम्बित वादों के समय से निस्तारित न होने से अनेक प्रकार की सामाजिक, प्रशासनिक एवं अन्य समस्यायें भी उत्पन्न होती हैं। अतः दोनों ही प्रकार के कार्यों में समुचित सन्तुलन बनाये जाने की आवश्यकता है।

वादों के सतत व त्वरित निस्तारण के परिपेक्ष्य में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पूर्व में भी शासन/परिषद स्तर से यथेष्ट मार्ग-दर्शन व निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं। तत्क्रम में परिषदादेश संख्या 7-81/12-3एफ/2001, दिनांक 04-01-2002 में पूर्व में निर्गत कई महत्वपूर्ण परिषदादेशों की ओर ध्यानाकर्षित कराते हुए वादों के निस्तारण में परिलक्षित समस्याओं के निदान सहित, वादों का यथेष्ट निस्तारण किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है, का उल्लेख करते हुए न्यायालय कार्य के सार्थक परिणाम की आकांक्षा परिषद द्वारा की गयी है। यह भी स्पष्ट किया गया था कि वादों का निस्तारण इस भाँति अवश्य किया जाय कि किसी भी माह में व किसी भी दशा में निस्तारण दायर वादों की संख्या से कम न हो। विदित हो कि माननीय परिषद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- 432 व 432/पी0एम0/2002, दिनांक

जैकब थामस, आई.ए.एस.
आयुक्त एवं सचिव

अ. शा. पत्र सं. 21099 / 12-68
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश
लखनऊ
दिनांक 19-11-1997

प्रिय महोदय,

आप अवगत होंगे कि विभिन्न स्तर के राजस्व न्यायाल में भारी संख्या में पुराने वाद लम्बित हैं, जिनका समय से निस्तारण न होने के कारण न केवल वादकारियों में भारी असंतोष व्याप्त है, बल्कि इससे समय-समय पर शान्ति व्यवस्था ... भी उत्पन्न होती जा रही है। दिनांक 24-9-9 को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या-30219/1997-अयोध्या सहाय उर्फ ... जौनपुर व अन्य के एक मामले में यह आदेशात्मक निर्देश दिए गए हैं कि सभी पीठासीन अधिकारी अपने न्यायालय में लम्बित मामलों को, वाद संस्थित होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर, निश्चित रूप से निस्तारित करें, अन्यथा संबंधित पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की जायेगी।

परिषद के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि रेवन्यू मैनुअल में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अधिकांश पीठासीन अधिकारियों द्वारा न तो स्वयं अपने न्यायालयों का निरीक्षण किया जाता है और न ही अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। पुराने वादों के निस्तारण की ओर कोई रुचि नहीं दिखायी जाती है तथा अधिकांश पीठासीन अधिकारी निश्चित समय पर न्यायालय में नहीं बैठते हैं, न ही न्यायिक कार्यों में कोई रुचि लेते हैं। परिषद स्तर पर एक कार्य योजना बनाते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पुराने लम्बित वादों का वरीयता के आधार पर निस्तारण किया जावे तथा प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में दिनांक 30 सितम्बर, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष तक संस्थित,

... 2

ADM(L&R)/RA.
कृ. तद्नुसार सभी संबंधित को समुचित निर्देश प्रसारित करें।
(अमिय कृष्ण चतुर्वेदी)
जिलाधिकारी,
सुलतानपुर।
02.12.97.

रमाकान्त पाण्डेय
अपर जिलाधिकारी (भू रा०)
सुलतानपुर

5476

कृ. कार्यवाही करें।

रा०अ०
... कार्य हेतु प्रस्तुत करो।

जो भी वाद लम्बित हों, उन्हें दिनांक 31 सितम्बर, 1997 तक निस्तारित करने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जावें। इस संदर्भ में लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण के प्रभावी अनुश्रवण के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जा रहे हैं :-

1- विभिन्न स्तर के राजस्व न्यायालयों द्वारा वादों के निस्तारण की त्रैमासिक विवरण पत्र तैयार किये जावें, जिसमें इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि संबधित न्यायालय में विभिन्न प्रकार के सबसे पुराने कितने वाद लम्बित हैं। विवरण पत्र में इस आशय का भी उल्लेख किया जावे कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक त्रैमास में विभिन्न श्रेणी के कुल कितने पुराने वादों का निस्तारण किया गया है। जिलास्तरीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों द्वारा यह त्रैमासिक विवरण पत्र संबधित जिलाधिकारी को प्रेषित किया जावे जहाँ इसे संकलित करके संबधित मण्डलायुक्त को प्रेषित किया जावे। मण्डलस्तरीय न्यायालयों द्वारा अपने विवरण पत्र संबधित मण्डलायुक्त को प्रेषित किए जावें तथा मण्डलायुक्त द्वारा मण्डलीय तथा जिलास्तरीय न्यायालयों के विवरण पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु परिषद को प्रेषित किए जावें।

2- मण्डल एवं जिलास्तरीय समस्त राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रत्येक त्रैमास में आवश्यक रूप से अपने न्यायालय/कार्यालय का प्रभावी एवं वास्तविक निरीक्षण किया जावे। निरीक्षण के समय लम्बित विभिन्न श्रेणी के 10 सबसे पुराने वादों की विशेष रूप से समीक्षा की जाये। जिलास्तरीय न्यायालयों द्वारा निरीक्षण टिप्पणी अनुपालन आख्या सहित मण्डलायुक्त को तथा मण्डल स्तरीय न्यायालय द्वारा निरीक्षण टिप्पणी अनुपालन आख्या सहित परिषद को प्रेषित की जावे।

3- प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को प्रत्येक छमाही/ वर्ष में कम से कम एक बार अपने अधीनस्थ मण्डल/ जिलास्तरीय राजस्व न्यायालयों के न्यायिक कार्यों का निरीक्षण करके, विस्तृत निरीक्षण टिप्पणी, अनुपालन आख्या सहित परिषद/ मण्डलायुक्त को उपलब्ध करावें, जहाँ इन निरीक्षण टिप्पणी की समीक्षा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को उचित दिशा-निर्देश दिए जावें ।

4- सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पुराने तथा जटिल मामलों को नये पीठासीन अधिकारी अथवा अवर न्यायालय को अनावश्यक रूप से हस्तांतरित न किया जावे ।

5- सभी पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि वे नियत समय पर न्यायालय में बैठकर न्यायिक कार्यों का निष्पादन करें। अन्तिम सुनवाई के मामलों की यथा सम्भव दिन-प्रतिदिन सुनवाई की जावे और अन्य मामलों को भी अनावश्यक रूप से न तो स्थगित किया जावे और न ही उन्हें लम्बित रखा जावे।

6- दिनांक 30 सितम्बर, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष तक संस्थित जो भी वाद विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित हों, उन्हें निश्चित रूप से दिनांक 31-12-97 तक निस्तारित करके, अनुपालन आख्या संलग्न प्रारूप में जनवरी, 1998 के प्रथम सप्ताह में परिषद को उपलब्ध करायी जावे। इसीप्रकार 30 सितम्बर, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष तक लम्बित समस्त वादों को दिनांक 30 सितम्बर, 1998 तक निस्तारित करने का प्रयास किया जावे।

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करावें और अपने स्तर पर भी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक कार्यों का अनुश्रवण सुनिश्चित करें। मा० अध्यक्ष, मा० सदस्यगण एवं परिषद के मण्डलीय अधिकारियों द्वारा जनपदों के निरीक्षण

के समय अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक कार्यों की विशेष रूप से समी
की जायेगी। परिषद द्वारा पूर्व निर्धारित मानक के अनुरूप वादों
के निस्तारण न करने तथा मा० उच्च न्यायालय के आदेशात्मक
निर्देशों के अनुसार वादों का निस्तारण न करने वाले अधिकारियों
के विरुद्ध परिषद कठोर कार्यवाही करने पर विवश होगी तथा ऐसे
सभी अधिकारियों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी
जायेगी। कृपया अपने अधीनस्थ समस्त पीठासीन अधिकारियों को
उपरोक्त निर्देशों से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: प्रारूप। ह०/

भवनिष्ठ,

(जैकब थामस)

समस्त मण्डलायुक्त/
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

अ०शा०पत्र संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रिय महोदय,

परिषद के अर्धशासकीय पत्र संख्या-214/नि.स.-सचिव/1997, दिनांक अक्टूबर 28, 1997 के क्रम में प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को जारी किए जा रहे निर्देश की प्रति अवलोकनार्थ आपको भी प्रेषित है।

ह०/

भवनिष्ठ,

(जैकब थामस)
आयुक्त एवं सचिव।

श्री पी०सी० शर्मा,
प्रमुख सचिव, राजस्व,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

कार्यालय जिलाधिकारी सुलतानपुर।

संख्या: 82 / राजस्व सहायक दिनांक: 8 दिसम्बर. 19

प्रतिलिपि: समस्त अपर जिलाधिकारी/आशुलिपिक. ... को तदनुसार सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ
... समस्त पीठासीन अधिकारी ... कार्यालय को अवगत करायें हेतु।